संरचना करदाताओं के लिए वार्षिक विवरणी

प्ररूप जीएसटीआर-9क

(नियम 80 देखिए)

वार्षिक विवरण (संरचना करदाता के लिए)

भाग. I	आधारिक ब्यौरे	
1	वित्तीय वर्ष	
2	जीएसटीआईएन	
3क	विधिक नाम	<स्व>
3ख	व्यवसाय नाम (यदि कोई हो)	<स्व>
4	वर्ष (......से ....तक) के दौरान संरचना स्कीम की अवधि	
5	पूर्व वित्तीय वर्ष का कुल आवर्त	

(सभी सारणियों में रुपए में रकम)

भाग. II	वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए जावक और आवक प्रदायों के ब्यौरे						
	वर्णन	आवर्त	कर की दर	केंद्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
	1	2	3	4	5	6	7
6	वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए जावक प्रदायों के ब्यौरे						
क	कराधेय						
ख	छूट प्राप्त, शून्य दर						
ग	कुल						

7	ऐसे आवक प्रदायों के ब्यौरे, जिन पर कर वित्तीय वर्ष के लिए प्रतिलोम प्रभार आधार (नामे नोट/जमा पत्रों का योग) पर संदेय हैं					
	विवरण	कराधेय मूल्य	केंद्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
	1	2	3	4	5	6

क	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त प्रतिलोम प्रभार के लिए दायी आवक प्रदाय					
ख	अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त प्रतिलोम प्रभार के लिए दायी आवक प्रदाय					
ग	सेवाओं का आयात					
घ	उपरोक्त (क), (ख) और (ग) पर संदेय शुद्ध कर					
8	वित्तीय वर्ष के लिए अन्य आवक प्रदायों के ब्यौरे					
क	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त आवक प्रदाय (उपरोक्त 7क से भिन्न)					
ख	माल का आयात					

भाग III	वित्तीय वर्ष के दौरान फाइल की गई विवरणियों में यथा घोषित संदत्त कर के ब्यौरे			
9	वर्णन	कुल संदेय कर	संदत्त	
	1	2	3	
	एकीकृत कर			
	केंद्रीय कर			
	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर			
	उपकर			
	ब्याज			
	विलंब फीस			
	शास्ति			

भाग. IV	चालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल से सितंबर की या पूर्व वित्तीय वर्ष की वार्षिक विवरणी के फाईल किए जाने की तारीख तक इनमें से जो भी पूर्वत्तर हो, विवरणियो में घोषित पूर्व वित्तीय वर्ष के लिए संव्यवहारों की विशिष्टियां					
	वर्णन	आवर्त	केंद्रीय कर	राज्य कर/ संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर

	1	2	3	4	5	6
10	संशोधनों के माध्यम से घोषित प्रदायों/कर (जावक) (+) (नामे नोटों का योग)					
11	संशोधनों के माध्यम से घोषित प्रतिलोम प्रभार के लिए दायी आवक प्रदाय (+) (नामे नोटों का योग)					
12	संशोधनों के माध्यम से कटौती किए गए प्रदाय/कर (जावक) (-) (जमा पत्रों का योग)					
13	संशोधनों के माध्यम से कटौती किए गए प्रतिलोम प्रभार के लिए दायी आवक प्रदाय (-) (जमा पत्रों का योग)					

14	उपरोक्त 10, 11, 12 और 13 में की गई घोषणा के मद्दे संदत्त अंतरीय कर		
	वर्णन	संदेय	संदत्त
	1	2	3
	एकीकृत कर		
	केंद्रीय कर		
	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर		
	उपकर		
	ब्याज		

भाग. V	अन्य जानकारी							
15	मांग और प्रतिदायों की विशिष्टियां							
	वर्णन	केंद्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत	उपकर	ब्याज	शास्ति	विलंब फीस/अन्य
	1	2	3	4	5	6	7	8
क	दावा किया गया कुल प्रतिदाय							

ख	स्वीकृत कुल प्रतिदाय							
ग	अस्वीकृत कुल प्रतिदाय							
घ	लंबित कुल प्रतिदाय							
ड.	करों की कुल मांग							
च	उपरोक्त ड. के संबंध में संदत्त कुल कर							
छ	उपरोक्त ड. के कारण लंबित कुल मांग							

16	उलटा गया या उपभुक्त प्रत्यय के ब्यौरे				
	वर्णन	केंद्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत	उपकर
	1	2	3	4	5
क	संरचना स्कीम में विकल्प लेने पर उलटा गया प्रत्यय (-)				
ख	संरचना स्कीम के कारण विकल्प लेने पर उपभुक्त प्रत्यय (+)				

17	संदेय और संदत्त विलंब फीस		
	वर्णन	संदेय	संदत्त

	1	2	3
क	केंद्रीय कर		
ख	राज्य कर		

सत्यापन :

मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं और यह घोषणा करता हूं कि इसमें ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा इसमें से कोई बात छिपाई नहीं गई है और आउटपुट कर दायित्व में किसी कटौती की दशा में, उसका फायदा प्रदाय के प्राप्तिकर्ता को संक्रान्त कर दिया गया है/कर दिया जाएगा ।

स्थान : हस्ताक्षर

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम

तारीख : पदनाम/प्रास्थिति

अनुदेश :--

1. इस विवरणी को भरने से पूर्व वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए अपने सभी प्ररूप जीएसटीआर-4 फाइल करना आज्ञापक है। जुलाई, 2017 से मार्च, 2018 के बीच की समयावधि के ब्यौरे इस विवरणी में उपलब्ध करवाए जाएंगे।
2. यह नोट किया जाए कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए अतिरिक्त उत्तरदायित्व जो प्ररूप जीएसटीआर-4 में घोषित नहीं किया गया हो, इस विवरणी में घोषित किया जाए।
3. भाग I में करदाता के आधारिक ब्यौरे अंतर्विष्ट हैं। भाग I को भरने के लिए अनुदेश निम्नानुसार हैं :

सारणी सं0	अनुदेश
5	पूर्व वित्तीय वर्ष के लिए कुल आवर्त उस वर्ष के, जिसके लिए विवरणी फाइल की जा रही है, पूर्व वित्तीय वर्ष का आवर्त है ।उदाहरण के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए वार्षिक विवरणी हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 के कुल आवर्त को इस सारणी में प्रविष्ट किया जाएगा। यह उसी स्थायी लेखा संख्यांक पर रजिस्ट्रीकृत सभी करदाताओं का आवर्त है ।

4. भाग II में उस वित्तीय वर्ष, जिसके लिए वार्षिक विवरणी फाइल की गई है, में सभी जावक और आवक प्रदायों के ब्यौरे हैं। भाग II को भरने के लिए अनुदेश निम्नानुसार हैं :

सारणी सं0	अनुदेश
6क	सभी जावक प्रदायों का कुल मूल्य, कुल नामे नोटों/जमा पत्रों का योग, संपूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए अग्रिमों का योग और वापस किए गए माल का योग यहां घोषित किया जाएगा । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-4 की सारणी 6 और सारणी 7 का उपयोग किया जा सकेगा ।
6ख	छूट प्राप्त, शून्य दर और गैर-माल और सेवाकर प्रदायों का कुल मूल्य यहां घोषित किया जाएगा ।

7क	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त सभी आवक प्रदायों का कुल मूल्य, जिस पर कर प्रतिलोम प्रभार आधार पर संदेय है, यहां घोषित किया जाएगा । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-4 की सारणी 4ख, सारणी 5 और सारणी 8क का उपयोग किया जा सकेगा ।
7ख	अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त सभी आवक प्रदायों (सेवाओं के आयात से भिन्न) का कुल मूल्य, उलटे गए प्रभार के आधार पर संदेय है, यहां घोषित किया जाएगा । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-4 की सारणी 4ग, सारणी 5 और सारणी 8क का उपयोग किया जा सकेगा ।
7ग	वित्तीय वर्ष के दौरान आयात की गई सभी सेवाओं का कुल मूल्य यहां घोषित किया जाएगा । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-4 की सारणी 4घ और सारणी 5 का उपयोग किया जा सकेगा ।
8क	ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त सभी आवक प्रदायों का कुल मूल्य, जिस पर कर प्रदायकर्ता द्वारा संदेय है, यहां घोषित किया जाएगा । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-4 की सारणी 4क और सारणी 5 का उपयोग किया जा सकेगा ।
8ख	वित्तीय वर्ष के दौरान आयात किए गए सभी माल का कुल मूल्य यहां घोषित किया जाएगा ।

5. भाग IV में चालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल से सितंबर में या पूर्व वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरण फाईल करने की तारीख (उदाहरण के लिए वित्तीय वर्ष 2017-2018 के वार्षिक विवरणी में वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए अप्रैल से सितंबर में घोषित संव्यवहारों को घोषित किया जाएगा)। इनमें से जो भी पूर्वत्तर हो, कि विवरणी में पूर्व वित्तीय वर्ष के प्रदायों के लिए किए गए संशोधनों के ब्यौरे अंतर्विष्ट हैं। भाग V को भरने के लिए अनुदेश निम्नानुसार हैं :

सारणी सं0	अनुदेश
10, 11, 12, 13 और 14	ऐसे किन्ही प्रदायों के परिवर्धनों या संशोधनों के ब्यौरे, जिन्हें पूर्व वित्तीय वर्ष की विवरणियों में पहले घोषित किया गया था किन्तु ऐसे संशोधनों, चालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल से सितंबर या पूर्व वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी फाइल करने की तारीख तक इनमें से जो भी पूर्वत्तर हो, के प्ररूप जीएसटीआर-4 की सारणी 5 (आवक प्रदायों से संबंधित) या सारणी-7 (जावक प्रदायों से संबंधित) में दिए गए थे, यहां प्रस्तुत किए जाएंगे ।

6. भाग V में अन्य जानकारी के ब्यौरे हैं । भाग 5 को भरने के लिए अनुदेश निम्नानुसार हैं :

सारणी सं0	अनुदेश
15क, 15ख, 15ग और 15घ	प्रसंस्करण के लिए दावाकृत, स्वीकृत, अस्वीकृत और लंबित प्रतिदायों का कुल मूल्य यहां घोषित किया जाएगा । दावाकृत प्रदाय वित्तीय वर्ष में फाइल किए गए सभी प्रतिदाय दावों का कुल मूल्य होगा और इसमें ऐसे प्रतिदाय भी सम्मिलित होंगे जिन्हें प्रसंस्करण के लिए स्वीकृत, अस्वीकृत किया गया है या लंबित हैं । स्वीकृत प्रतिदाय से सभी प्रतिदाय स्वीकृति आदेशों का कुल मूल्य अभिप्रेत है । लंबित प्रतिदाय ऐसे सभी प्रतिदाय आवेदनों में कुल रकम होगी, जिनके लिए अभिस्वीकृति प्राप्त कर ली गई है और इसमें प्राप्त किया गया अनंतिम प्रतिदाय नहीं होगा । इनमें गैर-माल और सेवाकर प्रतिदाय दावों के ब्यौरे सम्मिलित नहीं होंगे ।

15ड., 15च और 15छ	ऐसे करों की मांगों के कुल मूल्य, जिसके लिए न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा मांगों की पुष्टि करने वाला आदेश जारी किया गया है, यहां घोषित किया जाएगा । उपरोक्त 15ड में पुष्ट की गई मांगों के कुल मूल्य में से संदत्त करों का संकलित मूल्य यहां घोषित किया जाएगा ।

16क	यदि कोई व्यक्ति संरचना स्कीम के अधीन कर देने का चयन करता है तो उलटे गए सभी प्रत्ययों का संकलित मूल्य यहां घोषित किया जाएगा । प्ररूप आईटीसी-03 में दिए गए ब्यौरों का उपयोग इन ब्यौरों को भरने के लिए किया जा सकेगा ।
16ख	यदि कोई व्यक्ति संरचना स्कीम के बाह्य कर देने का चयन करता है तो उपभोग किए सभी प्रत्ययों का संकलित मूल्य यहां घोषित किया जाएगा । प्ररूप आईटीसी-01 में दिए गए ब्यौरों का उपयोग इन ब्यौरों को भरने के लिए किया जा सकेगा ।
17	विलंब शुल्क देय होगा, यदि वास्तविक विवरणी देय तारीख के पश्चात् फाइल की जाती है ।

7. विवरणी के अंत में, प्ररूप डीआरसी-03 के माध्यम से, इस प्ररूप में घोषित किसी अतिरिक्त उत्तरदायित्व के संदाय का एक विकल्प दिया जाएगा। करदाता प्ररूप डीआरसी-03 में उपलब्ध ड्रॉप डाउन में "वार्षिक विवरणी" का चुनाव करेगा। यह नोट किया जाए कि ऐसे उत्तरदायित्व केवल इलैक्ट्रानिक नगद लेजर के माध्यम से संदत्त किए जाएंगे।

18. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटीआर-9ग के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्:--